न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी)

मु.न. 12/2014

उनवान

1. हनुमान पुत्र नानगराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र नानगराम जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. गंगाराम पुत्र गोमा
4. गोपाल पुत्र गोमा
5. नानू पुत्र गोमा
6. बद्री पुत्र गोमा
7. फूली पुत्री गोमा
8. कमली पुत्री गोमा
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. छीतर पुत्र डालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. उषा देवी उर्फ डे.सी. पुत्री एन्टोनी जाति जोगी, निवासी चीथवाडी, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
11. बद्री पुत्र घासी जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 11.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प चीथवाडी में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी/ गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है।

राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपनें निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, इस सम्बध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 132 से 137 के प्रावधान वार्षिक अभिलेखें से संबंधित है। धारा 132 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वार्षिक रजिस्टर को परिभाषित किया गया है।

धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/ त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भूप्रबंध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नही आता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner